

वैवेल योजना और शिमला

1945 ई. के पूर्वार्ध तक भारत और विदेशों में घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहा था. अक्टूबर, 1943 ई. में लॉर्ड लिनलिथगो (Lord Linlithgow) की जगह लॉर्ड वैवेल (Lord Wavell) भारत के नए वायसराय बने. जैसा कि आप जानते हो कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध (Second World War) ख़त्म हो चुका था. इंग्लैंड में नए चुनाव होने वाले थे. इंग्लैंड में लेबर दल (labour party) का प्रभाव बढ़ रहा था. चर्चिल, जो स्वयं Conservative Party के थे, लेबर पार्टी के इस बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर भारत में फिर से संवैधानिक सुधारों का नाटक करने की फिराक में थे. Churchill ने मार्च, 1945 में विचार-विमर्श हेतु वैवेल (Wavell) को लन्दन बुलाया.

वैवेल योजना और शिमला सम्मलेन

चर्चिल से discussion कर के लॉर्ड वैवेल भारत पहुँचे. जून, 1945 में वैवेल ने संवैधानिक सुधारों की रुपरेखा प्रस्तुत की. इस योजना पर विचार करने के लिए 25 जून, 1945 को भारतीय प्रतिनिधियों का एक सम्मलेन शिमला (Simla Conference) में बुलाया गया. इस सम्मलेन में भाग लेने के लिए सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया और गाँधी जी पर से नज़रबंदी हटाई गई. 25 जून, 1945 को शिमला में वैवेल की अध्यक्षता में सम्मलेन शुरू हुआ जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावे सिख, दलित वर्ग और केन्द्रीय विधानसभा के European दल के representatives को भी आमंत्रित किया गया.

प्रस्ताव (PROPOSALS)

1. साम्प्रदायिक समस्या का निराकरण किया जाए.
2. हिन्दू (high castes) और मुस्लिम को बराबर-बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा.
3. शूद्र और सिखों को भी प्रतिनिधित्व दिया जायेगा.
4. नई परिषद् में वायसराय और प्रधान सेनापति के अलावे सभी भारतीय सदस्य रखे जायेंगे.
5. सभी विभाग भारतीयों को सौंपे जायेंगे (रक्षा विभाग को छोड़कर)
6. नए council के कार्य, प्रशासन और संविधान निर्माण पद्धति को निश्चित करना था.
7. वायसराय के अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जायेगी पर वह विवेकहीन तरीके से अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करेगा.

निष्कर्ष

राजनीतिक दलों की एक joint conference बुलाई जानी थी जिससे कि कार्यकारिणी परिषद् के members की सर्वमान्य या पृथक सूचियाँ तैयार कर नियुक्तियों की जा सकें. सच कहा जाए तो वैवेल की योजना (Wavell Conference) ठीक-ठाक लग रही थी लेकिन साम्प्रदायिकता को कम करने के बदले इसने इसे बढ़ाने का ही काम किया. प्रस्ताव में जैसा हमने देखा कि मुसलमानों और हिन्दुओं को समान अनुपात (equal proportion) देने की बात कही गई थी. इस प्रकार “मुस्लिम लीग की राजीतिक समानता के बदले साम्प्रदायिक समानता की माँग का पहली बार ब्रितानी नीति की सरकारी घोषणा में अनुमोदन किया गया था.”

आलोचना

कार्यकारिणी परिषद् के गठन को लेकर विवाद खड़ा हो गया. अनुसूचित जाति के नेताओं ने पृथक नामांकन करने का अधिकार माँगा. जिन्ना ने माँग की कि सूची तैयार करने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को ही मिले. इस आधार

पर अबुल कलाम आजाद भी कार्यकारिणी के सदस्य नहीं हो सकते थे. जिन्ना की जिद और वैवेल की अदूरदर्शिता से शिमला सम्मलेन असफल रहा. 14 जुलाई, 1945 को वायसराय ने सम्मलेन को असफल कह कर समाप्त कर दिया.

वैवेल योजना के विफल के बाद क्या हुआ?

जुलाई, 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए जिसमें लेबर पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ. चर्चिल हार गए और एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने. लेबर पार्टी भारत के प्रति उदार दृष्टिकोण रखती थी. उसने भारत की समस्या का समाधान करने के लिए वैवेल को इंग्लैंड बुलाकर उनसे बातचीत की. एटली ने भारत में प्रांतीय और केन्द्रीय विधानसभाओं के लिए चुनाव करवाने की भी घोषणा की. 1945-46 के चुनाव में सामान्य स्थानों पर कांग्रेस को और मुसलामानों के लिए आरक्षित स्थानों पर मुस्लिम लीग को सफलता मिली. केन्द्रीय विधानसभा में कांग्रेस को 57 और लीग को 30 seats मिले. इस प्रकार प्रान्तों में भी कांग्रेस को बहुमत मिला. फलस्वरूप, हिन्दू बहुल प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने. बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी पर पंजाब में खिजर हयात के नेतृत्व में मिली-जुली सरकार बनी.